

5

पक्षकारों एवं 3
आदि के हिस



श्री मान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपोठ रोवा, जिला

रोवाम्प्रो

निगरानी प्रकरण क्रमिक R 5064/16

RS.
20/-

रामप्रताप कुशवाहा पिता महाजन कुशवाहा उम्र 55 वर्षी, पेशा कृषि,

निवासीग्राम पिथौरावाड तहसील उचेहरा जिला सतनाम्प्रो ----- आवेदक
निगराकार

वनाम

1- श्रीमती कुन्ती वाई उम्र 47 वर्षी पति हीरालाल कुशवाहा पेशा कृषि,

निवासी ग्राम आरवेदिया खुर्द, तहसील उचेहरा, जिला सतनाम्प्रो

2- शासन मद्रो

आवेदकगण निगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व

निरीदाक मण्डल अटरा के राजस्व प्रकरण क्रो

10 अज 12/ 14-15मे पारित आदेश दिनांक 22-7-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मद्रो मूराजस्व

संक्षिप्त 1959ई०

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

इस प्रकार है कि आराजी खसरा क्र 1257/ 1/ क 1 रकबा 0000

0-209 हे स्थित ग्राम पिथौरावाड पटवारी हल्का पिथौरावाड रा० क्रि

मण्डल अटरा तहसील उचेहरा जिला सतना के सम्बन्ध मे सीमांकन का

आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर पटवारी हल्का

रामप्रताप कुशवाहा
द्वारा आज दिनांक 21-2-16
प्रस्तुत किया गया।
सैडर
सर्किट कोर्ट रोवा


5

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक RS064-II(16) जिला स.स.ना.

..... रामप्रताप कुशावाहा विरुद्ध कुशीबाई कुशावाहा

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>रामप्रताप कुशावाहा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>अ.स.स.</u> तहसील <u>कुशीबाई</u> के प्रकरण क्रमांक <u>106/2012/14-15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22-07-15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>स.स.ना.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-3-2019</u> को कलेक्टर <u>स.स.ना.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	 सदस्य